फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम श्रीकिशन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से दावा 230 / 2024	विशेष विवरण
	29.11.2024	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 12.12.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	नोटिस रजि. DN 5142-45 11/12/24
	12/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक...21/1/25 को पेश हो।	
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वंय भी अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु न तो वादी स्वंय उपस्थित हुए न ही वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	